

तलय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी - रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 04/2025

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

लालचन्द पुत्र श्री खीयाराम जाति कुम्हार उम्र 61 वर्ष निवासी 5 एम एल ग्राम पंचायत
नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) वादी

बनाम

1. फकीरचन्द पुत्र श्री खीयाराम जाति कुम्हार निवासी 36 एलएनपी तहसील पदमपुर
जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
..... प्रतिवादीगण


उपस्थित-अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी
अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी
पैरोकार राज

वादी
प्रतिवादी 1
(प्रति.2,3)


-:: निर्णय ::-

दिनांक 05.02.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी एवं प्रतिवादीगण का रजिस्टर वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने भाई हैं। चक 5 एम एल पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 169 के मुख्या नम्बर 64 की कुल 3.390 है। नहरी मय गला कृषि भूमि में से वादी लालचन्द पुत्र खीयाराम के नाम से 253/678 हिस्सा यानि 265 है। कृषि भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 फकीरचन्द पुत्र खीयाराम के नाम 253/678 हिस्सा यानि 1.265 है। कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 5 एम एल के संयुक्त खाता संख्या 169 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। चक 36 एल एन पी पटवार हल्का बख्तावरपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 105 के मुख्या नम्बर 13 की कुल 1.138 है। नहरी मय खाला कृषि भूमि वादी लालचन्द पुत्र खीयाराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 36 एल एन पी खाता संख्या 105 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। ग्राम साबू की मौड़ पटवार हल्का बख्तावरपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 105 के मुख्या नम्बर 63 की कुल 1.265 है। बारानी मय गे. मु. रास्ता कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 फकीरचन्द पुत्र खीयाराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। ग्राम साबू की मौड़ के खाता संख्या 105 की जमाबन्दी की प्रमाणित


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

ति संलग्न है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी काशत की सहूलियत व रकबा का एकीकरण करने के आशय से पारिवारिक पटवारा में प्राप्त हुई कृषि भूमि का विगत कई वर्षों पूर्व तबादला कर लिया तथा तबादला अनुसार चक 5 एम एल पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 169 के मुख्बा नम्बर 64 की कुल 3.390 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 फकीरचन्द पुत्र खीयाराम के नाम दर्ज 253/678 हिस्सा यानि 1.265 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी को प्राप्त हुई जिसका वादी काबिज काशत है। प्रतिवादी संख्या 1 फकीरचन्द पुत्र खीयाराम के नाम दर्ज ग्राम साबू की मौड़ पटवार हल्का बख्तावरपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072दृ2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 105 के मुख्बा नम्बर 63 की कुल 1.265 है. बारानी मय गै. मु. रास्ता कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक भी वादी को प्राप्त हुई जिसका वादी काबिज काशत है। वादी लालचन्द पुत्र खीयाराम के नाम दर्ज चक 36 एल एन पी पटवार हल्का बख्तावरपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073दृ2076 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 105 के मुख्बा नम्बर 13 की कुल 1.138 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 से ली गई उक्त वर्णित चक 5 एमएल व ग्राम साबू की मोड़ की कृषि भूमि के बदले में प्रतिवादी संख्या 1 को दे दी जिसका प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काशत है। वादी ने अपने को प्राप्त हुई कृषि भूमि में काफी राशि खर्च करके इसे ऊपजाऊ बनाया व समतल करके इसकी कीमत को बढ़ाया है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 के मन में लालच पैदा हो रहा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारस्परिक सहमति से किए तबादला यानि समझौतानुसार उक्त कृषि भूमि के उक्त अनुसार काबिज काशत है परन्तु भूमि राजस्व रिकार्ड में पारस्परिक सहमति से किए गए समझौता अनुसार दर्ज नहीं होने के कारण पक्षकारान को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा वादी उक्त कृषि भूमि का उपभोग नहीं कर सकता है, तथा कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड आदि की सुविधाओं से एवं उक्त कृषि भूमि में सुधार कार्य करवाने में भी वंचित हो रहा है ऐसी सूरत में वादी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 5 एमएल व ग्राम साबू की मोड़ की कृषि भूमि को अपनी घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी है। वादी ने पारस्परिक सहमति से हुए मौखिक समझौता अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी संख्या 1 आजकल कर समय व्यतीत कर टाल मटोल करता रहा अन्ततः दिनांक 08/12/2024 को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने साफ इन्कार कर दिया, बस यही बिनाय मुखास्मत है। चूंकि वादग्रस्त कृषि भूमि चक 5 एम एल तहसील श्रीगंगानगर ग्राम 36 एलएनपी तहसील पदमपुर व ग्राम साबू की मोड़ तहसील पदमपुर में स्थित है राजस्व नियमों एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार किसी एक न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है इसलिए चक 5 एमएल की कृषि भूमि श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद श्रीमानजी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है व 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है। 11. यहकि प्रतिवादी संख्या 2 पर श्रीमान तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को तथा प्रतिवादी संख्या 3 पर श्रीमान तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर को लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है। अतः वाद पत्र पेश करने


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर


निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :-

- (क) कि चक 5 एम एल पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072 - 2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 169 के मुख्या नम्बर 64 की कुल 3.390 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी लालचन्द पुत्र खीयाराम के नाम दर्ज 253 / 678 हिस्सा यानि 1.265 है. एवं प्रतिवादी संख्या 1 फकीरचन्द पुत्र खीयाराम के नाम दर्ज 253 / 678 हिस्सा यानि 1.265 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी लालचन्द पुत्र श्री खीयाराम जाति कुम्हार निवासी 5 एम एल ग्राम पंचायत नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे ।
- (ख). प्रतिवादी संख्या 1 फकीरचन्द पुत्र खीयाराम के नाम दर्ज ग्राम साबू की मौड़ पटवार हल्का बख्तावरपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072दृ2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 105 के मुख्या नम्बर 63 की कुल 1.265 है. वारानी मय गे. मु. रास्ता कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को वादी लालचन्द पुत्र खीयाराम जाति कुम्हार निवासी 5 एम एल तहसील व जिला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे ।
- (ग). कि वादी लालचन्द पुत्र खीयाराम के नाम दर्ज चक 36 एल एन पी पटवार हल्का बख्तावरपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073दृ2076 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 105 के मुख्या नम्बर 13 की कुल 1.138 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को प्रतिवादी संख्या 1 फकीरचन्द पुत्र श्री खीयाराम जाति कुम्हार निवासी 36 एलएनपी तहसील पदमपुर. जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त अनवानी राजस्व वाद पत्र में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने है :-

आपस में राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा एवं बिना किसी जबर दवाब के राजीनामा स्वीकार कर लिया है पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। पक्षकारान सगे भाई है जिन्होंने पारस्परिक सहमति से निम्न प्रकार विभाजन किया हुआ है।

- (क). चक 5 एम एल पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 169 के मुख्या नम्बर 64 की कुल 3.390 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी लालचन्द पुत्र खीयाराम के नाम दर्ज 253/678 हिस्सा यानि 1.265 है. एवं प्रतिवादी संख्या 1 फकीरचन्द पुत्र खीयाराम के नाम दर्ज 253/678 हिस्सा यानि 1.265 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी लालचन्द पुत्र श्री खीयाराम जाति कुम्हार निवासी 5 एम एल ग्राम पंचायत नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को दी हुई है।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

(ख). प्रतिवादी संख्या 1 फकीरचन्द पुत्र खीयाराम के नाम दर्ज ग्राम साबू की मौड़ पटवार हल्का बख्तावरपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072दृ2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 105 के मुख्बा नम्बर 63 की कुल 1.265 है. बाराणी मय गै. मु. रास्ता कृषि भूमि जमबान्दी मुताबिक को वादी लालचन्द पुत्र खीयाराम जाति कुम्हार निवासी 5 एम एल तहसील व जिला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को दी हुई है।

(ग). कि वादी लालचन्द पुत्र खीयाराम के नाम दर्ज चक 36 एल एन पी पटवार हल्का बख्तावरपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073दृ2076 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 105 के मुख्बा नम्बर 13 की कुल 1.138 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को प्रतिवादी संख्या 1 फकीरचन्द पुत्र श्री खीयाराम जाति कुम्हार निवासी 36 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0) को दी हुई है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल किया जावे एवं उक्त राजीनामा अनुसार चक 5 एम एल पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 169 के मुख्बा नम्बर 64 की कुल 3.390 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी लालचन्द पुत्र खीयाराम के नाम दर्ज 253/678 हिस्सा यानि 1.265 है. एवं प्रतिवादी संख्या 1 फकीरचन्द पुत्र खीयाराम के नाम दर्ज 253/678 हिस्सा यानि 1.265 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी लालचन्द पुत्र श्री खीयाराम जाति कुम्हार निवासी 5 एम एल ग्राम पंचायत नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे ।

प्रतिवादी संख्या 1 फकीरचन्द पुत्र खीयाराम के नाम दर्ज ग्राम साबू की मौड़ पटवार हल्का बख्तावरपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072दृ2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 105 के मुख्बा नम्बर 63 की कुल 1.265 है. बाराणी मय गै. मु. रास्ता कृषि भूमि जमबान्दी मुताबिक को वादी लालचन्द पुत्र खीयाराम जाति कुम्हार निवासी 5 एम एल तहसील व जिला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे ।

वादी लालचन्द पुत्र खीयाराम के नाम दर्ज चक 36 एल एन पी पटवार हल्का बख्तावरपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 105 के मुख्बा नम्बर 13 की कुल 1.138 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को प्रतिवादी संख्या 1 फकीरचन्द पुत्र श्री खीयाराम जाति कुम्हार निवासी 36 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाकर डिक्री जारी की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीग द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत्-2072 -2075 ग्राम 5 एमएल, पटवार क्षेत्र नेतेवाला भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 169. जमाबंदी सम्वत्-2073 -2076 ग्राम 36 एलएनपी, पटवार क्षेत्र बख्तावरपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र घमूडवाली तहसील पदमपुर का खाता संख्या 105 की प्रति पेश की गई। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य हैं। पारिवारिक सहमति के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

दस्तवेजात एवम् जमाबन्दी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40-53, 38-39-40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 ;एससीद्ध पेज 807 व 178 आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975-478, एआईआर 1966 ;एससीद्ध 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।


--: आदेश :-

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है।

- (1) चक 5 एम एल पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 169 के मुख्या नम्बर 64 की कुल 3.390 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी लालचन्द पुत्र खीयाराम के नाम दर्ज 253/678 हिस्सा यानि 1.265 है. एवं प्रतिवादी संख्या 1 फकीरचन्द पुत्र खीयाराम के नाम दर्ज 253/678 हिस्सा यानि 1.265 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी लालचन्द पुत्र श्री खीयाराम जाति कुम्हार निवासी 5 एम एल ग्राम पंचायत नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाती है।
- (2) प्रतिवादी संख्या 1 फकीरचन्द पुत्र खीयाराम के नाम दर्ज ग्राम साबू की मौड़ पटवार हल्का बख्तावरपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 105 के मुख्या नम्बर 63 की कुल 1.265 है. बारानी मय गै. मु. रास्ता कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को वादी लालचन्द पुत्र खीयाराम जाति कुम्हार निवासी 5 एम एल तहसील व जिला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाती है।
- (3) वादी लालचन्द पुत्र खीयाराम के नाम दर्ज चक 36 एल एन पी पटवार हल्का बख्तावरपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 105 के मुख्या नम्बर 13 की कुल 1.138 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को प्रतिवादी संख्या 1 फकीरचन्द पुत्र श्री खीयाराम जाति कुम्हार निवासी 36 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाती है।


खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर एवम् तहसीलदार(राजस्व) पदमपुर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अनवान लाल चंद बनाम फकीर चंद
वाद मुकदमा नं 04/2025

पत्रावली निर्णय शुमार होकर वाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।
निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 05.02.2025 को जारी
जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर,
उपखण्ड न्यायालय, श्रीगंगानगर